Ganesh5. 353

COURT FEE 20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(152)

समक्ष न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय, जबलपुर संभाग,

जबलपुर म.प्र.

राजस्व निगरानी/अपील क्र— /2016

A-7177-I-16

1 मोहम्मद आमीर खान पिता श्री मोहम्मद अनवर खान निवासी—186 बड़ी ओमती मदन मोहल मालवीय वार्ड, अकरम खान पिता श्री हाजी हिसाबत खान निवासी—1876 भानतलैया खेरमाई वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर म.प्र. **अपीलार्थीगण**

विरूद्ध

म.प्र.शासन

2. कुंवरलाल पटैल पिता श्री मिश्रीलाल पटैल निवासी—म.नं. 15 ग्राम खजरी, तहसील पनागर, जिला जबलपुर म.प्र. बहैसियत मुख्त्यारआम ⇒ मोहम्मद सलीम पिता स्व.श्री अब्दुल सलीम निवासी—म.नं.2806/1, आदर्श नगर, कालोनी अधारताल, जबलपुर म.प्र. **प्रत्यर्थीगण**

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
13 JUL 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

(164)

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 47 (क) (5) उपधारा 8 भारतीय स्टाम्प अधिनियम।

यह निगरानी/अपील विचारण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जबलपुर म.प्र. के राजस्व प्र.क. 367/बी—103/2012—2013 जिसमे पक्षकार म.प्र. शासन विरूद्ध कुंवरलाल पटैल वगैरह मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30/06/2014 से क्षुब्ध एवं परिवेदित होकर निम्नांकित अपील प्रस्तुत की जा रही है :—

अपील के तथ्य

1. यह कि, क्रेती मोहम्मद अमीर खान एवं अकरम खान के द्वारा विक्रेता कुंवरलाल से मौजा गुरदा नं.बं. 600, प.ह.नं. 24/81, रा.नि.मं.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक 7177–एक / 2016 अपील

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
18/4/19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ । अवलोकन किया गया । यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्पस् जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 367/बी–103/12–13 में पारित आदेश 30–6–2014 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। २/ म०प्र०शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय भोपाल व्दारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18 सितम्बर 2018 में प्रकाशित अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनयम 1899 की धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किये गये सॅशोधन के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर आफ स्टाम्पस् व्दारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील राजस्व आयुक्त को होगी । तद्नुसार प्रकरण आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सुनवाई हेतु अंतरित किया जाता है। पक्षकार आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के न्यायालय में दिनांक 28–5–2019 को उपस्थित रहें। सदस्य आयुक्त, जबलपुर संभाग,	